भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2107

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2025 को दिया जाना है ।

21 फाल्गुन, 1946 (शक)

डीपीडीपी नियम, 2025 के अंतर्गत राज्य एजेंसियों द्वारा डेटा प्रोसेसिंग

2107. श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य एजेंसियों को नई सहमति के बिना व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की अनुमति है, बशर्ते कि व्यक्तियों को ड्राफ्ट डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम, 2025 के नियम 5 के अंतर्गत सूचित किया जाए;

(ख) उन विशिष्ट परिस्थितियों और व्यक्तिगत डेटा के प्रकारों का ब्यौरा क्या है जिन पर यह प्रावधान लागू होता है;

(ग) ऐसे डाटा प्रोसेसिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(घ) व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत डेटा के उपयोग के बारे में पर्याप्त रूप से सूचित किए जाने की संभावना किस प्रकार है;

(ड.) सरकार द्वारा निजता संबंधी चिंताओं पर विचार करते समय भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए प्रभावी शासन और निजता के मौलिक अधिकार के बीच किस प्रकार संतुलन बनाए रखने की संभावना है;

(च) क्या इस उपबंध से संबंधित चिंताओं के समाधान के लिए निगरानी अथवा शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की योजनाएं हैं; और

(छ) सरकार इस नियम को विशेषकर उन क्षेत्राधिकारों में जहां सुस्पष्ट सहमति मौलिक है, वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों के साथ किस प्रकार जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (छ): डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("अधिनियम") वैध उद्देश्य, उद्देश्य सीमा, डेटा न्यूनीकरण, डेटा सटीकता, भंडारण सीमा, यथोचित सुरक्षा संरक्षा प्रतिउपायों और जवाबदेही जैसे अपेक्षित सिद्धांतों को समाहित करता है। यह अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण में शामिल राज्य एजेंसियों सहित संगठनों को सुदृढ़ तकनीकी और संगठनात्मक प्रतिउपायों को लागू करने के लिए बाध्य करता है, जिसमें अंग्रेजी में नोटिस या संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी भाषा तक पहुंचने के विकल्प के साथ व्यक्ति से सहमति प्राप्त करना शामिल है और जिस उद्देश्य के लिए इसे संसाधित करने का प्रस्ताव है, उसके प्रसंस्करण से पहले निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु उसके अधिकारों तक पहुंचने के लिए लिंक या तरीके के साथ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संसाधित किया जाना प्रस्तावित है। व्यक्ति को किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार होगा, ऐसा करने में आसानी उस आसानी से तुलनीय होगी जिसके साथ ऐसी सहमति दी गई थी। इसके अलावा, अधिनियम यह अनुमति देता है कि राष्ट्र और उसके कोई भी साधन किसी व्यक्ति के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को सब्सिडी, लाभ, सेवा, प्रमाण पत्र, लाइसेंस या परमिट प्रदान करने के लिए संसाधित कर सकते हैं, जहां उसने पहले ऐसे उद्देश्यों के लिए अपने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए सहमति दी है, जो मसौदा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 के नियम 5 में दिए गए मानकों के अधीन है। इसके अलावा, अधिनियम व्यक्तियों को अपने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने, सही करने और हटाने के अधिकारों के साथ सशक्त बनाता है, जिससे उसके व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण और उपयोग के बारे में पारदर्शिता बढ़ती है। व्यक्तियों को शिकायत निवारण का अधिकार है जो उसके व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग के बारे में किसी भी चिंता को दूर करना सुनिश्चित करता है। डेटा संरक्षण बोर्ड के साथ शिकायत निवारण तंत्र और अधिनिर्णय प्रक्रिया निगरानी और जवाबदेही ढांचे को और सुदृढ़ करती है। अधिनियम यथोचित रूप से व्यक्तियों के अधिकारों और डेटा फिड्यूशरीज़ के दायित्वों को संतुलित करता है।

*****